न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी

बनाम

1. श्रीमती बरदी पत्नी देवीलाल मीणा निवासी जोधामण्डल का खेडा, ट्रान्सपोर्टनगर के पास, भीलवाडा (मृतक) के बजाय –
   1/1. शम्भूलाल मीणा पुत्र स्व. बरजी पत्नी देवीलाल मीणा
   1/2. श्यामलाल मीणा पुत्र स्व. बरजी पत्नी देवीलाल मीणा
   1/3 हेमराज मीणा पुत्र स्व. बरजी पत्नी देवीलाल मीणा
   1/4 राजू मीणा पुत्र स्व. बरजी पत्नी देवीलाल मीणा
   1/5 गुडडी मीणा पुत्री स्व. बरजी पत्नी मंगलराम मीणा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 10.11.2017, पट्टा संख्या 18, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.11.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्व पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगकाराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नही की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/–रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी खाली भूखण्ड है तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है। विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है जिससे इस भूमि का पंचायत के द्वारा पुनः नीलामी किये जाने पर पंचायत की आय में काफी बढ़ोतरी होगी एवं विधि विपरीत जारी पट्टों पर अंकुश लगेगा तथा प्राप्त आय से विकास कार्य पंचायत में किये जा सकेंगे। गैर निगराकार संख्या 01 ने जब पटटे का आवेदन किया तब अपने शपथपत्र में अपनी आयु 60 वर्ष बतायी जो फिर 50 वर्ष पुराना मकान कैसे हो सकता हैं? इससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 ने पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पटटा गलत प्राप्त किया हैं एवं तत्कालिन सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पालडी ने पंचायत को भारी राजकीय राशि की हानि पहुंचाई हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा संख्या 18 दिनांक 10.11.2017 को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/–रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी खाली भूखण्ड है तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा संख्या 18 दिनांक 10.11.2017 को अपास्त किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु धारा 97 के अन्तर्गत कोई लोकस स्टैण्डाई नही हैं। ग्राम पंचायत ने विधि तौर उक्त प्रश्नगत पटटा जारी किया हैं। अब स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा ही उक्त पटटे को खारिज करने की निगरानी पेश की गयी है जो विधि तौर गलत हैं। ग्राम

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पंचायत को उक्त पटटे के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें धारा 61 के तहत अपील करनी चाहिये थी, न की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करनी थी। इसलिए निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य ठहरती हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि निगराकार ने निगरानी मेमों में एवं बहस के दौरान बताया कि प्रश्नगत पटटे की भूमि मौके पर खाली भूखण्ड हैं। खाली भूखण्डों के संबंध में गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने कोई खण्डन नहीं किया एवं न ही प्रश्नगत पटटे पर कोई मकानात बने होने बाबत् कोई दस्तावेजात पेश किये हैं। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त प्रश्नगत पटटे बाबत् पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157 की स्पष्ट उल्लंघना की जाकर पटटा प्राप्त किया जाना इंगित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.11.2017 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 10.11.2017 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा